

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।  
पत्रांक 2519 /ओबरा/ 15 भू0ह0 दिनांक-29-05-2023.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,  
विद्युत प्रेषण खण्ड,  
उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर  
पता-220 के0वी0 सब स्टेशन, तलवल, गाजीपुर, उ0प्र0।

**विषय:-** जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 अरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753 /2020)

**सन्दर्भ:-** आपके कार्यालय के पत्रांक-1467/वि0प्रे0खं0-गा0/ दिनांक-22.06.2022, पत्रांक-324/वि0प्रे0खं0-गा0 दिनांक-24.02.2023 इस कार्यालय के पत्रांक-218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-30.07.2022, पत्रांक-1714/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-04.02.2023, पत्रांक-1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.03.2023, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-पी-08/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-27.01.2023, पत्र संख्या-1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-24.05.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पृष्ठांकन संख्या-3745/11-सी दिनांक-26.05.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया (400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन के) लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-30.07.2022 तथा पत्रांक-1926/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-06.03.2023 द्वारा उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने पत्र संख्या-1085/81-2-2023-800(04)/2023 दिनांक-24.05.2023 द्वारा कमियों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है:-

1. पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाय।
2. वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में0 अडानी है अथवा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 है ?

3. प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप उ०प्र० शासन द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण करते हुए, वांछित सूचना/अभिलेख की पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अवलोकन हेतु उ०प्र० शासन का पत्र संख्या-1085/81-2- 2023-800(04) /2023 दिनांक- 24.05.2023 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)  
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- — अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)  
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

1085  
संख्या-सी-04/81-2-2023-800(04)/2023

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 24 मई 2023  
विषय- जंगल सौजन्य के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400 के0वी0 लीला ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रक-3165/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020 दिनांक 03.04.2023 का कृपया मन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कनियाँ पायी गई हैं :-

1. पूर्व लीज डीड की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जाय।
2. वर्तमान प्रस्तावित लीज डीड नवीनीकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी में0 अडानी है अथवा 30प0 पावर ट्रान्समिशन कार्पो0 लि0 है ?
3. प्रश्नगत प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत Ex-post Facto प्रस्ताव है अथवा नहीं ?

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।  
पत्रक- 3745/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/44753/2020, लखनऊ, दिनांक: मई 26, 2023

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।